

सं.ई-13011/10/2020-ति.प्र.रि./हिंदी/ 110

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग (हिंदी अनुभाग)

कमरा संख्या - 901 (दक्षिण),
सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम,
नई दिल्ली -110066
दिनांक 22 मार्च, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर भिजवाने के संबंध में ।

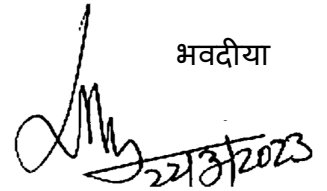
कृपया 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भाग-I एवं II सहित सही-सही भरकर यथाशीघ्र हिंदी अनुभाग को भिजवा दी जाए ताकि केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की तिमाही प्रगति रिपोर्ट संकलित कर मंत्रालय को भिजवाई जा सके।

2. कृपया यह सुनिश्चित किया जाए की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में तथा रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रमाण पत्र पर अवर सचिव/कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर अवश्य हों।

3. आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट हिंदी अनुभाग को 10 अप्रैल, 2023 तक hindisec-cwc@gov.in पर अवश्य भिजवा दी जाए।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीया



उप निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष: 011-29583720

1. निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय / जल आयोजन एवं परियोजना समन्वय निदेशालय / अभिकल्प एवं अनुसंधान समन्वय निदेशालय केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. सभी अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
2. सभी सदस्य, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
3. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव, नई दिल्ली।
4. निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव, नई दिल्ली।

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही

भाग - I. (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता :

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं. : एस.टी.डी कोड..... फोन नं. ई-मेल:

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

[इनमें संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद में रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, सरकारी कागजात, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र, निविदा सूचनानिविदा प्रपत्र/नोटिस आदि शामिल हैं, जिन्हें द्विभाषी रूप में ही जारी किया जाए]

(क) जारी कागजात की कुल संख्या :

(ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या :

(ग) केवल हिन्दी में जारी किये गये कागजात :

(घ) केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात :

2. हिंदी में प्राप्त पत्र [राजभाषा नियम - 5 (लक्ष्य 100%)]

[राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए।]

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या :

(ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए :

(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए :

(घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे :

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

क्षेत्र	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या =3+4+5	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे	हिन्दी में उत्तरित पत्रों का प्रतिशत =3×100/(2-5)
1	2	3	4	5	6
'क' क्षेत्र से					
'ख' क्षेत्र से					

4. भेजे गये मूल पत्रों का ब्योरा :-

क्षेत्र	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या =2+3	हिन्दी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत =2×100/4	पिछले तिमाही का प्रतिशत	प्रगति प्रतिशत में =5-6	
						वृद्धि	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8
'क' क्षेत्र को							
'ख' क्षेत्र को							
'ग' क्षेत्र को							

क क्षेत्र : उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।

ख क्षेत्र : महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब राज्य और चण्डीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

ग क्षेत्र : क और ख क्षेत्रों में शामिल न किए गए सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।

5. फाइलों/दस्तावेजों पर तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियां

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या	अंग्रेज़ी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या	कुल टिप्पणियों की संख्या =1+2	हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों का प्रतिशत =1x100/3	पिछले तिमाही का प्रतिशत	प्रगति प्रतिशत में =4-5	
					वृद्धि	कमी
1	2	3	4	5	6	7

6. हिंदी कार्यशालाएं (केवल क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भरा जाना है)

तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशाला की तिथि	तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	इनमें प्रशिक्षित कर्मिकों की संख्या		
		अधिकारी	कर्मचारी	कुल संख्या
1	2	3	4	5

नोट: कार्यालय में समस्त कर्मिकों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

7. विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि :

(केवल क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भरा जाना है)

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि (केंद्रीय प्रधान कार्यालय की) :

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या :

(ग) इस तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या :

(घ) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए? : हां / नहीं

8. हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की स्थिति :

(केवल मंत्रालयों/विभागों के लिए)

9. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/ उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 250 कैरेक्टर)

--

10. उल्लिखित आंकड़ों की सत्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।

मंत्रालय/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम:

पदनाम :

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर :

फैक्स नम्बर :

ई मेल का-पता :

नोट: कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।

प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड :

वित्तीय वर्ष : 2022-2023

"मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि संलग्न 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग-1/2) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की ज़िम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।"

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम :

पदनाम :

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर :

फैक्स नम्बर :

ई-मेल का पता :

तिथि:-

स्थान:-

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ. सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए, अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी।

भाग-II

(इस भाग में सूचनाएं पूरे वित्तीय वर्ष की दी जाएं। इसे केवल 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के भाग-I के साथ भेजा जाए)

- 1.(i) क्या कार्यालय/बैंक राजभाषा नियम 10(4) (अर्थात कार्यालय के कुल स्टाफ में से 80% को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है) के अंतर्गत अधिसूचित है ? : हां / नहीं

- (ii) नियंत्रणाधीन कार्यालयों (यदि हों) की राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचना का विवरण:-

कुल कार्यालयों की संख्या	अधिसूचित कार्यालयों की संख्या
1	2

- 2.(i) अधिकारियों /कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी का ज्ञान

		अधिकारी		कर्मचारी		कुल संख्या
		1		2		3
(क)	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या					
(ख)	उपर्युक्त (क) में से हिंदी का ज्ञान प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी	कार्यसाधक	प्रवीण	कार्यसाधक	प्रवीण	कुल संख्या
		1	2	3	4	5
(ग)	कितने कर्मों हिंदी भाषा का प्रशिक्षण पा रहे हैं ?					
(घ)	हिंदी में प्रशिक्षण के लिए शेष					

- 2.(ii) हिंदी आशुलिपि/टंकण का ज्ञान

		कुल संख्या	हिंदी में प्रशिक्षित कर्मिकों की संख्या	प्रशिक्षितों में से कितने हिंदी में काम करते हैं	प्रशिक्षण के लिए शेष
		1	2	3	4
(क)	आशुलिपिक				
(ख)	टंकक/लिपिक/सहायक				
(ग)	कर/पोस्टल सहायक आदि				

2. (iii) अनुवाद का ज्ञान

		अधिकारी	कर्मचारी	कुल संख्या
		1	2	3
(क)	कुल अधिकारी/कर्मचारी जो अनुवाद कार्य करते हैं।			
(ख)	उक्त (क) में से अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण कितनों को प्राप्त है ?			
(ग)	कितनों को प्रशिक्षण दिया जाना शेष है ?			

3. हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण

कुल अधिकारियों की संख्या	कंप्यूटर पर हिंदी में प्रशिक्षितों की संख्या	कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने वालों की संख्या
1	2	3

4. कंप्यूटर से संबंधित विवरण

कंप्यूटर/लैपटाप की कुल संख्या	हिंदी सक्षम (enabled) कंप्यूटर /लैपटाप की संख्या
1	2

5. कोड, मैनुअल, मानकीकृत प्रपत्र आदि

		कुल संख्या	द्विभाषी
		1	2
(क)	अधिनियम/नियम/कार्यालयीन कोड/मैनुअल प्रक्रिया साहित्य आदि		
(ख)	मानकीकृत प्रपत्र		

6. राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु कितने कर्मिकों को व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए ?

--

7. प्रशिक्षण कार्यक्रम (केवल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए)

प्रशिक्षण की अवधि (सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल अवधि)	प्रशिक्षण की अवधि (घंटों में)		
	हिंदी में दिए गए प्रशिक्षण	अंग्रेजी में दिए गए प्रशिक्षण	मिली जुली भाषा में दिए गए प्रशिक्षण
1	2	3	4

8. वर्ष के दौरान किए गए राजभाषा संबंधी निरीक्षण

- (क) (i) अनुभागों की कुल संख्या :
- (ii) इनमें से निरीक्षित अनुभागों की संख्या :
- (ख) (i) अधीनस्थ क्षेत्रीय जोनल बैंकों/कार्यालयों/वित्तीय संस्थानों इत्यादि (यदि कोई हो) की कुल संख्या :
- (ii) इनमें से निरीक्षित कार्यालयों की संख्या :

9. पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन

कुल संख्या	हिंदी में	अंग्रेजी में
1	2	3

10. हिंदी पुस्तकों की खरीद (सीडी, डीवीडी, डाक्यूमेंट्री व ई-बुक सहित)

(i)	वर्ष के दौरान पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय	:	
(ii)	इनमें से हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर व्यय	:	

11. उप सचिव /समकक्ष एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा हिंदी में कार्य

अधिकारियों की कुल संख्या	हिंदी जानने वाले अधिकारियों की संख्या	कालम 2 में से हिंदी में कार्य करने वालों की संख्या					
		नहीं करते हैं	25 प्रतिशत तक करते हैं	26 से 50 प्रतिशत तक करते हैं	51 से 75 प्रतिशत तक करते हैं	76 प्रतिशत से अधिक करते हैं	शत-प्रतिशत करते हैं
1	2	3	4	5	6	7	8

12. हिंदी जानने वाले (प्रवीण तथा कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त दोनों को मिलाकर) उप सचिव/समकक्ष से नीचे के स्तर के कार्मिकों द्वारा हिंदी में कार्य।

कार्मिकों की कुल संख्या	हिंदी जानने वाले कार्मिकों की संख्या	कालम 2 में से हिंदी में कार्य करने वालों की संख्या					
		नहीं करते हैं	25 प्रतिशत तक करते हैं	26 से 50 प्रतिशत तक करते हैं	51 से 75 प्रतिशत तक करते हैं	76 प्रतिशत से अधिक करते हैं	शत-प्रतिशत करते हैं
1	2	3	4	5	6	7	8

13. हिंदी के पद

पदनाम	पदों की संख्या	
	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3

14. वेबसाइट (संगत स्थान पर ✓ चिन्हित करें)

वेबसाइट का पता	केवल अंग्रेज़ी में	आंशिक रूप से द्विभाषी	पूरी तरह से द्विभाषी
1	2	3	4

15. वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण:-

- (क) हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह (कब से कब तक) : _____
- (ख) हिंदी संगोष्ठी की तिथि और विषय : _____
- (ग) हिंदी में अन्य आयोजन की तिथि और विषय (यदि कोई हो) : _____

16. उल्लिखित आंकड़ों की सत्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।

मंत्रालय/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम: _____

पदनाम : _____

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर : _____

फैक्स नम्बर : _____

ई मेल का-पता : _____

नोट: कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।

संलग्नक

प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड :

वित्तीय वर्ष : 2022-2023

"मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि संलग्न 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग-1/2) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की ज़िम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।"

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम :

पदनाम :

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर :

फैक्स नम्बर :

ई-मेल का पता :

तिथि:-

स्थान:-

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ. सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए, अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी।